न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 84 / 2021

1– श्री भंवरलाल
2– श्री रेवतराम
पुत्रगण श्री किशनाराम, दोनों जाति जाट, निवासीगण ग्राम भैरवाई, तहसील रूपनगढ , जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री गिरीश पारीक, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–16.11.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2078 में श्री भंवरलाल व श्री रेवतराम, दोनों जाति जाट, निवासीगण ग्राम भैरवाई, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम भैरवाई के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 38.5327 हैक्टर में से रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ व खसरा नम्बर 80 रकबा 0.6997 हैक्टर में से रकबा 0.0200 है0 किस्म गै0मु0 पाल को अनाधिकृत रूप से खेत में मिलाकर कब्जा कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमियों के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 67 / 2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 28.10.2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 28. 10.2021 से क्षुब्ध होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

	...त राज अधिनियम 1996	97	12-10-18
	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956	75	03-04-18
	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956	89(4)	10-07-17
...व अन्य	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956	89(4)	10-07-17
मूली व अन्य	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956	89(4)	
हंसा व अन्य	टीनेंसी एक्ट 1955		

73, 74 व 75 कुल रकबा 4.5627 हैक्टर ग्राम भैरवाई में स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.08.2021 को विवादित आराजी खसरा संख्या 59 व 80 पर अतिक्रमण किये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट पर धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट्स ने दिनांक 14.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अपीलान्ट्स के उज्र के आधार पर जवाब के सन्दर्भ में पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक भदूण को विवादित आराजी बाबत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा जवाब में विवादित आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने व खातेदारी आराजी पर ही कब्जा काश्त होने के तथ्य अंकित किये गये हैं। इसी आधार पर पटवारी हल्का से अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट व दस्तावेज चाहे गये जो कि निर्णय दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2021 को कोई आगामी तारीख पेशी नियत नहीं की गई व अपीलान्ट्स के पीठ पीछे उसकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी है, प्रारम्भिक पैरा में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं किन्तु अन्त के पैरा में विवादित आराजी की बिना पैमाईश के बेदखल न करने के आदेश दिये गये हैं। उनका आगे कथन है कि प्रकरण अपीलान्ट्स व उनके भाई रामदेव पुत्र किशनाराम के विरूद्ध धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था किन्तु उक्त कार्यवाही से पूर्व ही रामदेव की मृत्यु हो चुकी थी। तत्पश्चात पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रामदेव के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप कर दी गई जबकि मृतक के विधिक वारिसान खातेदारी खसरा संख्या 73, 74 व 75 की आराजी पर सहखातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं किन्तु वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं कर इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। इससे प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा वास्तविक भौतिक स्थिति की जांच किये बिना द्वेषतावश, बदनीतिपूर्वक व अपीलान्ट्स को हैरान व परेशान करने की नीयत से कार्यालय में बैठकर ही कार्यवाही की गई है। उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से पुनः जांच रिपोर्ट बाबत निर्देश दिये जाने पर भी पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट्स का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश की अवज्ञा कर निर्णय पारित किया गया है जो अवैधानिक व शून्य प्रभावी होने से निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम भैरवाई स्थित विवादित भूमि को अनाधिकृत रूप से खेत में मिलाकर कब्जा किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी पर

व अन्य	राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956	89(4)	
मूली व अन्य	टीनेंसी एक्ट, 1955	225	
हंसा व अन्य			

अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्रा द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 59 व 80 को अनाधिकृत रूप से खेत में मिलाकर कब्जा किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 पहाड़ व गै0मु0 पाल के रूप में दर्ज है जो नियमन योग्य भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते